दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11–(क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना–2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से **पैंतालीस [45] दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को लिखित रूप में अथवा ई–मेल **mpd2021.public@dda.org.in** द्वारा भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई–मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधनः

दिल्ली मुख्य योजना–2021

1. मौजूदा प्रावधान

अध्याय 3.0: दिल्ली शहरी क्षेत्र – 2021

तालिका 3.3: शहरी विकास का श्रेणीबद्ध गठन

स्तर	सुविधाएँ	क्षेत्रफल वर्ग मी. में		
		सं.	प्रति इकाई	कुल
1	2	3	4	5
2.समीपवर्ती जन-संख्या 10,000	1. प्राथमिक विद्यालय	1	2,000-4,000	2,000-4,000
	:			
	13. सीवेज पंपिंग स्टेशन	1	500	500
	14. कोचिंग सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी) एवं भाषा प्रशिक्षण केंद्र	1	500	500
	15. पृथक्करण सहित ढलाव	1	200	200
	16. डिस्पेंसरी	1	800-1,200	800-1,200
	17. स्थानीय स्तर की अपशिष्ट जल शोधन सुविधा		आवश्यकता के अनुसार	
5.क्षेत्रीय/उप-नगर जन–संख्या 10,00,000	1. मेडिकल कॉलेज	1	भारतीय चिकित्सा परिषद्/विनियामक निकाय के अनुसार	
	:			
	8. सीवेज पंपिंग स्टेशन	1	2,500	2,500
	9. जल एवं सीवरेज के लिए म्यूनिसिपल कार्यालय	1	500	500
	10. सीवरेज शोधन संयंत्र (180 एमएलडी)	1	200	200
	:			
	16. विज्ञान केंद्र		आवश्यकता के अनुसार	
	17. सामाजिक–सांस्कृतिक केंद्र		आवश्यकता के अनुसार	

2. प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन

स्तर	सुविधाएँ	सं.	प्रति इकाई	कुल
2.समीपवर्ती जन-संख्या-10,000	1. प्राथमिक विद्यालय	1	2,000-4,000	2,000-4,000
	:			
	13. सीवेज पंपिंग स्टेशन	1	500	500
	14. कोचिंग सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी) एवं भाषा प्रशिक्षण केंद्र	1	500	500
	15. पृथक्करण सहित ढलाव	1	200	200
	16. डिस्पेंसरी	1	800-1,200	800-1,200
	17. स्थानीय स्तर की अपशिष्ट जल शोधन सुविधा		आवश्यकता के अनुसार	
	18. सीवेज शोधन संयंत्र # (सीवेज पंपिंग स्टेशन के लिए 50 वर्ग मीटर/एमएलडी और निस्सारी पंपिंग स्टेशन के लए 50 वर्ग मीटर/एमएलडी)	**22.7 एम एल डी तक**	**650 वर्ग मीटर/एमएलएडी**	
5.क्षेत्रीय/उप-नगर जन/संख्या 10,00,000	1. मेडिकल कॉलेज	1	भारतीय चिकित्सा परिषद्/विनियामक निकाय के अनुसार	
	:			
	8. सीवेज पंपिंग स्टेशन	1	2,500	2,500
	9. जल एवं सीवरेज के लिए म्यूनिसिपल कार्यालय	1	500	500
	:			
	18. सीवेज शोधन संयंत्र # (सीवेज पंपिंग स्टेशन के लिए 50 वर्ग मीटर/एमएलडी और निस्सारी पंपिंग स्टेशन के लए 50 वर्ग मीटर/एमएलडी)	**22.7 एम एल डी से अधिक**	**1100 वर्ग मीटर/एमलएडी**	

नोट: # क्षेत्रफल मानदंड नई प्रस्तावितक सुविधाओं के लिए हैं।

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.–2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य–दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात् **https://119.226.139.196/ddaweb/MPD2021.aspx**. पर भी उपलब्ध है।

फाइल सं.: एफ.20(6)2020/एमपी
दिनांक: 29.01.2021
स्थान: नई दिल्ली

हस्ता/–
(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया अपने सुझाव निम्नलिखित डीडीए ऐप्स पर दें Google play

"कृपया डीडीए की वेबसाइट **www.dda.org.in** देखें या टोल फ्री नंबर डायल करें **1800110332**"